IC 17/2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA N ICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 069891

आर0के0एम0 एजूकेशनल ट्रस्ट

मै गिरीश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामकुमार पाण्डेय, निवासी भीखापुर (छिछला) पो0 सदर जनपद फैजाबाद का हूँ, मेरी प्रबल इच्छा थी कि मै अपने मॉ एवं बाप के नाम से एक एजूकेशनल ट्रस्ट कायम करू जिसका उद्देश्य सामान्य, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , कृषि शिक्षण संस्थान संस्थान मानव समाज के उत्थान हेतु एवं विकास हेतु विभिन्न वर्गो के लिय विद्यालयों की स्थपना करके ईश्वर भक्त साधु सन्त की सेवा पूजा, धर्म प्रचार प्रसार करके देश के लिये विकास के लिये हाथ बंटाना हो। इन सभी उद्देश्यों एव सेवा के लिये मैने आर0के0एम0 एजूकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करने का संकल्प लिया, ईश्वर की दया एवं मॉ बाप के आर्शिवाद एव प्रेरणा से प्रेरित होकर जन मानस के कल्याण का कार्य समझकर उन्ही के चरणों में इसका फल समर्पित करते हुये आज दिनांक–28/1/2014 को ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इस शुभ कार्य के लिए रू0 11,000/–ट्रस्ट उपरोक्त को समर्पित करता हूँ जो इस ट्रस्ट की निधि होगी। इस ट्रस्ट का नाम उद्देश्य कार्य एवं कार्यविधि पदाधिकारीगण, सदस्य निम्नवत होगे।

ट्रस्ट का नाम	:	आर0के0एम0 एजूकेशनल ट्रस्ट
ट्रस्ट का कार्यालय	:	भीखापुर छिछला
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेश

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य</u> :–

1. सामान्य एवं उच्च तकनीकी, कृषि शिक्षा संस्थान , कृषि विकास के लिए कृषि कार्य करना, उन्नतिशील बीजों को उत्पादित करना, भूमि सुधार, जल संचयन, ऊसर सुधार, कृषि फार्मिंग, वृक्षारोण वन विकास संम्बन्धित कार्य, कृषि भूमि कय विकय करना, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विद्यालय आदि स्थापित करना एवं

GKPandey
गिरीश कुमार पाण्डेय

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2) 12AC 484701

संचालित करना एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु प्रयास करना, शिक्षण कार्य एवं विज्ञान पर शोध कार्य करना।

2. समाज के अशिक्षित बालक/बालिकाओं को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का नामकरण करते हुए दिशानिर्देश के साथ स्थापना करना एवं शिक्षा प्रदान करना।

3. योग्य एवं गरीब बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना बालक/बालिकाओं को रोजगार में सहायक, उच्च एवं तकनीक शिक्षा उपलब्ध कराना और एतदर्श शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनक संचालन करना।

4. समाज को श्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए छात्रावास विद्यालय चिकित्सालय एवं रोजगार परक शिक्षा संस्थान खोलना, बनवाना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना व उनका संचालन करना।

5. सामाजिक उद्देश्यों वाली संस्थाओं को अपने ट्रस्ट से सम्बद्ध करना और उनका सहयोग करना एवं सहयोग देना समाज सेवी संस्थाओं एवं बन्धुओं को पुरस्कृत करना मन्दिर पूजा स्थल निर्माण एवं रख–रखाव करना, सहयोग देना उक्त उददश्यों में सहायक या उनके अनुसंगिक कोई भी वैधानिक कार्य करना।

6. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति , जनजातियों तथा सभी समुदाय के गरीब लोगों के लिए विशेष शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु विशेष प्रकार के रोजगार परक प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य करना।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
12AC 484702

7. भारतीय संविधान के आशय के अनुरूप समाज का रूप निर्मित हेतु शिशुओं, बालक–बालिकाओं, युवा एवं वृद्ध पुरूषों व महिलाओं के सम्पूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान–विज्ञान एवं तकनीकी, शारीरिक, मानसिक, कलात्मक साहित्यिक, समाजिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्य का संचालन करना।

8. मूक, बधिर, अन्ध, विकलांग, मंद बुद्धि, अनाथ विधवा, वृद्ध एवं निराश्रित एवं अन्य कमजोर व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी कार्यकम का संचालन करना।

9. खादी और ग्रामोद्योगिक कार्यकमों को कार्यन्वित करना। औद्योगिक वन, कृषि सुगन्ध औषधियों, पौधों तथा लुप्तप्राय जीवनों व वनस्पतियों का संरक्षण, सवर्धन एवं उन्नतिशी ल शंकर बीजों का उत्पादन तथा उसके उन्नयन हेतु कार्यकम चलाना।

10. उपेक्षित व अविकिसित, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की पहचान करना तथा उनके संरक्षण की व्यवस्था करना।

11. प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन द्वारा चलाये जाने वाले समाज के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का कियान्वयन सुनिश्चित व उन्हें सफल बनाना।

12 समाज के समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाएं सचालित करना।

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान स्थानीय निकायों सरकारी एवं गैरसरकारी एवं आयकर विभागों से छूट एवं सहायता प्राप्त करना।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484703

14 अल्प संख्यकों के कल्याण एवं पुनर्निवास एवं शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना करना।

ट्रस्ट के धन विनियोगः–

1. ट्रस्ट के धन विनियोग आयकर विभाग की धारा 11/5 एवं अन्य प्राविधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उदश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना सहायता लेना व देना, व्याज रहित व व्याज सहित ऋण लेना व देना जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार एवं अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के विदेश से धन व ऋण कय व विकय एवं विनियम, पट्टा, किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भू खण्ड भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उससे व्यवसाय करना।
4. ट्रस्ट के उददश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की किसी भी चल व अचल सम्पत्ति का विकय प्रबन्ध हस्तान्तरण, विनियम, बंधक दृष्टि बंधक, पट्टे, गिरवी या किसी भी शांति निपटाना या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लाना।

ट्रस्ट मण्डलः–

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा जिसमें सदस्यों की संख्या किसी दशा में 2 से कम और 11 से ज्यादा न होगी। इन्ही स्थायी सदस्यों में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में स्थायी सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484704

सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से 2 वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति भी संभव होगी।

2. ट्रस्ट का स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जायेगी।

3. स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर नियुक्ति अध्यक्ष की जायेगी।

4. ट्रस्ट का संरक्षक किसी भी स्थायी व अस्थायी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्ति किया जायेगा तथा उसका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा और उसकी पुनर्नियुक्ति भी संभव होगी।

5. ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन होगा और उसके मरणोपरान्त उसका उत्तराधिकारी जितेन्द्र पाण्डेय अथवा अध्यक्ष द्वारा मृत्यु पूर्व पंजीकृत नामित व्यक्ति ही अध्यक्ष नियुक्त होगा।

6. ट्रस्ट के सेकेट्री का कार्यकाल आजीवन रहेगा परन्तु ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में अध्यक्ष अपने पूर्ण स्वविवेक द्वारा उसको पदच्यूत करके किसी भी अन्य अस्थायी सदस्य को सेकेट्री बना सकता है

7. ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति एक वर्ष के लिए अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। इसकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी।

8. ट्रस्ट के उददश्यों की पूर्ति के लिए किसी सरकारी/गैरसरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ सेकेट्री या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484705

9. ट्रस्ट मण्डल में कोई भी पद किसी कारण से रिक्त होता है तो अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।

10 ट्रस्ट मण्डल के मध्य अनिर्णय या किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है, जो अन्तिम एवं स र्वमान्य होगा।

11. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यो का कियान्वयन ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा अथवा उसके द्वरा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जायेगा।

12. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मद देने का विशेषाधिकार होगा।

13. अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श की रहेगी तथा उन्हे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

14. निम्नलिखित परिस्थितियॉ उत्पन्न होने पर सम्बद्ध ट्रस्ट का पद रिक्त माना जायेगा।

अ– त्याग–पत्र देने एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर।

ब– नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर।

स– मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।

द– दिवालिया घोषित होने पर।

य– ट्रस्ट की बैठकों में लगातार तीन बार अनुमति लिये बिना अनुपस्थित रहने पर।

र– मृत्यु हो जाने पर।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484706

15. ट्रस्ट के न्यासी के आराध्य देव जी की सेवा पूजा व धार्मिक अनुष्ठान हेतु ट्रस्ट, पुजारी की नियुक्ति करेगा, जिसका कार्यकाल ट्रस्ट के विवेकानुसार पुजारी के आचरण एवं योग्यता पर आधारित होगा।

ट्रस्ट के निम्नलिखित स्थायी सदस्य एवं पदाधिकारीगण होंगे:–

कमांक	नाम	आयु	पद
1.	गिरीश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामकुमार पाण्डेय भीखापुर छिछला, पोस्ट सदर जिला फैजाबाद।	43	संस्थापक एवं अध्यक्ष
2.	आशा पाण्डेय		सेक्रेट्री
3.	अशोक पाण्डेय		कोषाध्यक्ष
4.	आशुतोष पाण्डेय		सदस्य ट्रस्टी
5.	जितेन्द्र पाण्डेय		सदस्य ट्रस्टी
6.	कौशल उपाध्याय		सदस्य ट्रस्टी
7.	रंजना सिंह		सदस्य ट्रस्टी

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति किसी भी कर्मचारी/सदस्य, मैनेजमेंट कमेटी की/वैतनिक/अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।
2. ट्रस्ट की नीतियों की निर्धारण करना।
3. ट्रस्ट वार्षिक बजट को स्वीकृत देना।

GPandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484707

4. लेखा पुस्तकों, आय–व्यय खाता, चिट्ठा एवं आर्डिटर की रिपोर्ट पर विचार व स्वीकृति देना एवं अगले सत्र के लिए आर्डिटर की नियुक्ति करना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेना–देना, रेहन रखना, पट्टा लेना व देना, चल–अचल सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय निर्माण आदि करना या करवाना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देख–विदेश सेसहायता लेना व देना।
7. कोई भी ऐसा कार्य करना जो ट्रस्ट के हित में आवश्यक हों।
8. ट्रस्ट की बैठके आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
9. ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
11. ट्रस्ट के उद्दश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।
12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षा संस्थाओं की अलग–अलग कमेटी गठित करके संचालित करना।

सिक्रेटरी के अधिकार एवं कर्तव्य:–

1. अध्यक्ष के परामर्श से ट्रस्ट की बैठक आयोजित करना।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

12AC 484708

2. ट्रस्ट के उददश्यों की पूर्ति के लिए पत्र–व्यवहार करना व कराना।
3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. लेखा पुस्तकों को तैयार करना व कराना।
5. ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करने कराना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से ऋण लेने अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेज का निष्पादन करना।
8. अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौपे जायें।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय एवं व्यय का हिसाब –किताब रखना।
2. लेखा–पुस्तकों को आडिट करना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार देखना एवं निस्तारण करना व कराना।
4. वार्षिक बजट तेयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष से स्वीकृति करना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना।
6. ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लि किसी प्रकार का ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी/गैरसरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।
8. अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौपे जायें।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484709

ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करवाने, जिससे सामान्य एवं उच्च तकनीकि शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए इत्यादि को तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो की विधि पूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करना।

ट्रस्ट के कोषों का संचालनः–

1. ट्रस्ट के सभी प्रकार के कोषों एवं बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष के साथ सिकेट्री या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही किया जायेगा।
2. ट्रस्ट का खाता किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीकृत बैंकों में खोला जायेगा।

ट्रस्ट की बैठकः–

1. वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलायी जायेगी। इसके लिये सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।
2. आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घण्टें की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

वित्तीय वर्षः–

ट्रस्ट का वित्तयी वर्ष 01 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

Pandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 484710

अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीकृत बैंकों में खाता खोला जायेगा जिसका संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा ट्रस्ट मण्डल में से नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

<u>घोषणा–पत्र में संशोधनः–</u>

ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए उपरोक्त घोषणा –पत्र में समय –समय पर संशोधन/परिवर्तन, परिवर्धन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मै एतद्‌द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस ट्रस्ट की घोषणा पत्र का निष्पादन करता हूँ

दिनांक–

(गिरीश कुमार पाण्डेय)

1. सुनील कुमार पाण्डेय पु० श्री पति पाण्डेय, पं० दीनदयाल नगर [illegible] फैजाबाद

2. कौशल पुत्र श्री धनीराम
ग्राम– भीखनापुर पो० [illegible]
तह० [illegible]

Scanned with ACE Scanner

IV 54/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

3 MAR 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 798139

लेखपत्र ट्रस्ट का संशोधन पत्र

मैं गिरीश कुमार पाण्डेय पुत्र राम कुमार सा० [illegible] फैजाबाद

हम प्रथम पक्ष ने आर0के0एम0 एजूकेशनल ट्रस्ट दिनांक 28.01.2014 वही संख्या–4 जिल्द संख्या–390, के पृष्ठ 367 से 388 दस्तावेज नं0–17, दफतर सब रजिस्ट्रार कार्यालय फैजाबाद में रजिस्ट्री करायी थी जिसके उक्त ट्रस्ट कुछ शर्ते छूट गयी थी जो हम प्रथम पक्ष उक्त ट्रस्ट मे कुछ शर्ते निहित कर रहा हूं जो शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर 1991 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रदान किये जाने की सामान्य शर्ते निर्धारित की गयी है शासनादेश के प्रस्तर 5 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्थाओं की सोसाइटी बाईलाज मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो का समावेश किया जाना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आख्या / संस्तुति भेजते समय संस्थाओं द्वारा इस बात स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि सम्बन्धित संस्था द्वारा सोसाइटी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फैजाबाद

3 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 167242

नियमावली में उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित शर्तो को समाविष्ट किये जाने के लिए प्रबन्ध तन्त्र की सहमति से विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया है।

निर्धारित शर्तेः–

(क). विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख). विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग). विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

Pandey

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 MAR 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 167243

(घ). संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ड़). संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च). कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

G Pandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 211257

(छ). राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(ज). विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

प्रेम प्रकाश पाण्डेय

प्रेम प्रकाश पाण्डेय

पु० विजय कुमार पाण्डेय

ग्रा० तुलसीपुर

पो० ज्योतिसदन

मो० शहवाज सिद्दीकी s/o
कलाम सिद्दीकी
ग्रा० पो० शहनवा फैजाबाद
9044997383

IV 49/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTA

AA 253862

आर0के0एम0एजूकेशनल ट्रस्ट / पूरक / संशोधित पत्र

मैं गिरीश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामकुमार पाण्डेय, निवासी भीखापुर (छिछला), पोस्ट सदर, जनपद फैजाबाद का हूँ। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं अपने माँ एवं बाप के नाम से एक एजूकेशनल ट्रस्ट कायम करूँ, जिसका उद्देश्य सामान्य, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान मानव समाज के उत्थान हेतु एवं विकास हेतु विभिन्न वर्गो के लिये विद्यालयों की स्थापना करके ईश्वर भक्त साधु सन्त की सेवा, पूजा, धर्म प्रचार-प्रसार करके देश के लिये विकास के लिये हाथ बंटाना हो। इन सभी उद्देश्यों एवं सेवा के लिये मैंने आर0के0एम0एजूकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करने का संकल्प लिया। ईश्वर की दया एवं माँ-बाप के आर्शिवाद एवं प्रेरणा से प्रेरित होकर जनमानस के कल्याण का कार्य समझकर उन्हीं के चरणों में इसका फल समर्पित करते हुये आज दिनांक 28.1.2014 को ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इस शुभ कार्य के लिए रू0 11,000/- ट्रस्ट उपरोक्त को समर्पित करता हूँ, जो इस ट्रस्ट की निधि होगी। इस ट्रस्ट का नाम उद्देश्य कार्य एवं कार्यविधि पदाधिकारीगण, सदस्य निम्नवत होंगें।

ट्रस्ट का नाम	:	आर0के0एम0एजूकेशनल ट्रस्ट
ट्रस्ट का कार्यालय	:	भीखापुर छिछला
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विदेश

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्यः-

1. सामान्य एवं उच्च तकनीकी, कृषि शिक्षा संस्थान, कृषि विकास के लिए कृषि कार्य करना, उन्नतिशील बीजों को उत्पादित करना, भूमि सुधार, जल संचयन, ऊसर सुधार, कृषि फार्मिंग, वृक्षारोपण वन विकास सम्बन्धित कार्य, कृषि भूमि

GKPandey 9415047599

गिरीश कुमार पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

.2.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 336998

एवं आवासीय भूमि क्रय-विक्रय करना, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विद्यालय आदि स्थापित करना एवं संचालित करना एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु प्रयास करना, शिक्षण कार्य एवं विज्ञान पर शोध कार्य करना।

2. समाज के अशिक्षित बालक/बालिकाओं को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का नामकरण करते हुए दिशा निर्देश के साथ स्थापना करना एवं शिक्षा प्रदान करना।

3. योग्य एवं गरीब बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, बालक/बालिकाओं को रोजगार में सहायक, उच्च एवं तकनीक शिक्षा उपलब्ध कराना एवं एतदर्थ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

4. समाज को श्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए छात्रावास विद्यालय चिकित्सालय एवं रोजगार परक शिक्षा संस्थान खोलना, बनवाना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना व उनका संचालन करना।

5. सामाजिक उद्देश्यों वाली संस्थाओं को अपने ट्रस्ट से सम्बद्ध करना और उनका सहयोग करना एवं सहयोग देना, समाज सेवी संस्थाओं एवं बन्धुओं को पुरस्कृत करना, मन्दिर पूजा स्थल निर्माण एवं रख-रखाव करना, सहयोग देना। उक्त उद्देश्यों में सहायक या उनके अनुसंगिक कोई भी वैधानिक कार्य करना।

6. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजातियों तथा सभी समुदाय के गरीब लोगों के लिए विशेष शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु विशेष प्रकार के रोजगार परक प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य करना।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
38AD 336999

7. भारतीय संविधान के आशय के अनुरूप समाज का रूप निर्मित हेतु शिशुओं, बालक–बालिकाओं, युवा एवं वृद्ध पुरुषों व महिलाओं के सम्पूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान–विज्ञान एवं तकनीकी, शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्य का संचालन करना।
8. मूक, बधिर, अन्य, विकलांग, मंद बुद्धि, अनाथ विधवा, वृद्ध एवं निराश्रित एवं अन्य कमजोर व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम का संचालन करना।
9. खादी और ग्रामोद्योगिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। औद्योगिक वन, कृषि सुगन्ध औषधियों, पौधों तथा लुप्तप्राय जीवनों व वनस्पतियों का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नतिशील शंकर बीजों का उत्पादन तथा उसके उन्नयन हेतु कार्यक्रम चलाना।
10. उपेक्षित व अविकसित, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की पहचान करना तथा उनके संरक्षण की व्यवस्था करना।
11. प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन द्वारा चलाये जाने वाले समाज के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित व उन्हें सफल बनाना।
12. समाज के समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आर्थिक योजनाएं संचालित करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान स्थानीय निकायों सरकारी एवं गैर सरकारी एवं आयकर विभागों से छूट एवं सहायता प्राप्त करना।
14. अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पुनर्निवास एवं शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना करना।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AD 337000

ट्रस्ट के धन विनियोगः-

1. ट्रस्ट के धन विनियोग आयकर विभाग की धारा 11/5 एवं अन्य प्राविधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार एवं अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो, उन्हें करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेश से धन व ऋण क्रय व विक्रय एवं विनियम, पट्टा, किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उससे व्यवसाय करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की किसी भी चल व अचल सम्पत्ति का विक्रय प्रबन्ध हस्तान्तरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक, पट्टे, गिरवी या किसी भी शांति निपटाना या अन्य किसी प्रकार से उपयोग में लाना।

ट्रस्ट मण्डलः-

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या किसी दशा में 2 से कम और 11 से ज्यादा न होगी। इन्हीं स्थायी सदस्यों में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में स्थायी सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से 2 वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति भी संभव होगी।
2. ट्रस्ट का स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जायेगी।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 377897

3. स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

4. ट्रस्ट का संरक्षक किसी भी स्थायी व अस्थायी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जायेगा तथा उसका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा और उसकी पुनर्नियुक्ति भी संभव होगी।

5. पृष्ठ संख्या 5 में ट्रस्ट के उत्तराधिकारी जितेन्द्र पाण्डेय के स्थान पर आशुतोष पाण्डेय पढ़ा व समझा जाय।

6. ट्रस्ट के सेकेट्री का कार्यकाल आजीवन रहेगा, परन्तु ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में अध्यक्ष अपने पूर्ण स्वविवेक द्वारा उसको पदच्युत करके किसी भी अन्य अस्थायी सदस्य को सेकेट्री बना सकता है।

7. ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति एक वर्ष के लिए अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। इसकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी।

8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ सेकेट्री या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

9. ट्रस्ट मण्डल में कोई भी पद किसी कारण से रिक्त होता है तो अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।

10. ट्रस्ट मण्डल के मध्य अनिर्णय या किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है, जो अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

Pandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

6

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AD 357402

11. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यो का कियान्वयन ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा अथ्वा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जायेगा।

12. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा।

13. अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

14. निम्नलिखित परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर सम्बद्ध ट्रस्ट का पद रिक्त माना जायेगा।

अ- त्याग-पत्र देने एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर।
ब- नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर।
स- मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।
द- दिवालिया घोषित होने पर।
य- ट्रस्ट की बैठकों में लगातार तीन बार अनुमति लिये बिना अनुपस्थित रहने पर।
र- मृत्यु हो जाने पर।

15. ट्रस्ट के न्यासी के अराध्य देव जी की सेवा पूजा व धार्मिक अनुष्ठान हेतु ट्रस्ट पुजारी की नियुक्ति करेगा, जिसका कार्यकाल ट्रस्ट के विवेकानुसार पुजारी के आचरण एवं योग्यता पर आधारित होगा।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

7.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AD 357403

क्रमांक	नाम	आयु	पद
1.	गिरीश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राज कुमार पाण्डेय भीखापुर छिछला, पोस्ट सदर, जिला फैजाबाद।	43 वर्ष	संस्थापक एवं अध्यक्ष
2.	आशा पाण्डेय		सेकेट्री
3.	अशोक पाण्डेय		कोषाध्यक्ष
4.	आशुतोष पाण्डेय		सदस्य ट्रस्टी
5.	जितेन्द्र पाण्डेय		सदस्य ट्रस्टी
6.	कौशल उपाध्याय		सदस्य ट्रस्टी
7.	रंजना सिंह		सदस्य ट्रस्टी

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति किसी भी कर्मचारी/सदस्य, मैनेजमेन्ट कमेटी की/वैतनिक/अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।
2. ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना।
3. ट्रस्ट वार्षिक बजट को स्वीकृत देना।
4. लेखा पुस्तकों, आय-व्यय खाता, चिट्ठा एवं आडिटर की रिपोर्ट पर विचार व स्वीकृति देना एवं अगले सत्र के लिए आडिटर की नियुक्ति करना।

Pandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 357404

5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेना-देना, रेहन रखना, पट्टा लेना व देना, चल-अचल सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय, निर्माण आदि करना या करवाना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से सहायता लेना व देना।
7. कोई भी ऐसा कार्य करना जो ट्रस्ट के हित में आवश्यक हो।
8. ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के किसी किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।
12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग-अलग शिक्षा संस्थाओं की अलग-अलग कमेटी गठित करके संचालित करना।

<u>सिक्रेटरी के अधिकार एवं कर्तव्यः-</u>

1. अध्यक्ष के परामर्श से ट्रस्ट की बैठक आयोजित करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्र-व्यवहार करना व कराना।
3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. लेखा पुस्तकों को तैयार करना व कराना।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

.9.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AD 357405

5. ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना व कराना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से ऋण लेने अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेज का निष्पादन करना।
8. अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौपे जायं।

<u>कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः-</u>

1. ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय एवं व्यय का हिसाब-किताब रखना।
2. लेखा-पुस्तकों को आडिट करना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. ट्रस्ट से संबंधित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार देखना एवं निस्तारण करना व कराना।
4. वार्षिक बजट तैयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष से स्वीकृति कराना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना।
6. ट्रस्ट मण्डल के सभी बैठकों में उपस्थित रहना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।
8. अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौपे जायें।

Pandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

.10.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 357406

ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करवाने, जिससे सामान्य एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए इत्यादि को तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौपे गये कार्यो की विधिपूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करेगा।

ट्रस्ट के कोषो का संचालनः–

1. ट्रस्ट के सभी प्रकार के कोषो एवं बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष के साथ सिक्रेट्री या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही किया जायेगा।
2. ट्रस्ट का खाता किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जायेगा।

ट्रस्ट की बैठकः–

1. वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलायी जायेगी। इसके लिए सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।
2. आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घण्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

वित्तीय वर्षः–

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 377895

बैंक एकाउन्टः-

अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा ट्रस्ट मण्डल में से नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

घोषणा-पत्र में संशोधनः-

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपरोक्त घोषणा-पत्र में समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन, परिवर्द्धन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

दिनांक 28.1.2014 को बही संख्या 4, जिल्द संख्या 390, पृष्ठ संख्या 367 से 388 पर क्रमांक 17 पर ट्रस्ट पंजीकृत है। ट्रस्ट में आवासीय भूमि क्रय विक्रय करना लिखने से छूट गया था, उसे संशोधन पत्र में शामिल किया गया है एवं पृष्ठ संख्या 5 में प्रस्तर 5 में ट्रस्ट के उत्तराधिकारी जितेन्द्र पाण्डेय के स्थान पर आशुतोष पाण्डेय पढ़ा व समझा जाय। संशोधन पत्र में शामिल किया गया है।

मैं एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस ट्रस्ट की घोषणा-पत्र का निष्पादन करता हूँ।

(गिरीश कुमार पाण्डेय)

दस्तावेज़ लेखक को नाम-कृष्ण कुमार गुप्ता
अनुज्ञप्ति सं० 04 दिनांक......
तक विद्यमान जिला और स्थान उप निबन्धक
कार्यालय जिला फैजाबाद ली गयी फीस......
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर......

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी ...
07 DEC 2017
उ० प्र० (49)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

९२

DW 121110

यह हस्ताक्षर आर. के. एन.

Pandey

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

९३

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 208956

[illegible] ट्रस्ट के साथ संलग्न

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

38AD 365452

[illegible] लेखपत्र का [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 365453

Scanned with ACE Scanner